UTTAR PRADESH SHASAN

STAMP EVAM NIBANDHAN ANUBHAG-2

In pursuance of provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no.04/2020/442/94-S.R.-2-2020-700(03)/2020, dated, 29 May, 2020.

Notification

Order
No.04/2020/442/94-S.R.-2-2020-700(03)/2020
Lucknow , Dated, 29 May, 2020

In exercise of the powers under clause (a) of subsection (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended in its application to Uttar Pradesh read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor is pleased to remit with effect from the date of the publication of this notification, stamp duty chargeable in respect of conveyance deed / Lease deed executed by the Uttar Pradesh State Industrial Development Corporation for establishment of industrial units in the Plastic city, Dibiyapur, District Auraiya.

2. The remittance under this notification shall be subject to the following conditions:-

(a) District Magistrate of the District shall sign such instrument as witness for the purpose of confirming the fact that the conveyance deed is being executed for the purposes above mentioned, and

(b) Irrevocable Bank guarantee of the amount equal to the remission of stamp duty in favour of Inspector General of Registration, Uttar Pradesh, shall be presented before the Registering Officer at the time of registration of such conveyance deed / lease deed. In this regard it shall be the liability of the Uttar Pradesh State Industrial Development Corporation that it shall inform, the status of non-fulfillment of the purpose or non-commencement of commercial production within the prescribed period, by the industrial unit receiving such remission, to the Stamp and Registration Department, immediately. In such a condition, the Stamp and Registration Department shall deposit the amount in the proper account head of the department, by encashing the bank guarantee.

By order,

Veena kumari
Pramukh Sachiv

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2

संख्या-04/2020/442/94-स्टा0-नि0-2-2020-700(03)/2020

लखनऊ: दिनांक 29मई,2020

<u>अधिसूचना</u>

<u>आदेश</u>

साधारण खण्ड अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, इस अधिसूचना के प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्लास्टिक सिटी, दिबियापुर, जिला औरैया में औद्योगिक इकाईयों की स्थापना हेतु उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा निष्पादित हस्तान्तरण विलेख/पट्टा विलेख के सम्बन्ध में प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान करती हैं।

2- इस अधिसूचना के अधीन छूट, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी-

(क) जिला का जिला मजिस्ट्रेट, ऐसे लिखत पर इस तथ्य की पुष्टि करने के प्रयोजन हेतु साक्षी के रूप में हस्ताक्षर करेगा कि हस्तान्तरण विलेख, ऊपर उल्लिखित प्रयोजनों हेतु निष्पादित किया जा रहा है, तथा

(ख) ऐसे हस्तान्तरण विलेख/पट्टा विलेख के निबंधन के समय, महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश के पक्ष में, स्टाम्प शुल्क की छूट के समतुल्य धनराशि की अप्रतिसंहरणीय बैंक प्रतिभूति निबन्धनकर्ता अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी| इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम का यह दायित्व होगा कि वह ऐसी छूट प्राप्त करने वाली औद्योगिक इकाई द्वारा विहित अवधि के भीतर, प्रयोजन की पूर्ति न करने अथवा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ न करने की प्रास्थिति की सूचना, तत्काल स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग को देगा| ऐसी दशा में, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग बैंक प्रतिभूति को भुना कर विभाग के समुचित लेखाशीर्षक में धनराशि जमा करेगा|

आज्ञा से,

वीना कुमारी

प्रमुख सचिव|

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-04/2020/442/94-स्टा0-नि0-2-2020-700(03)/2020,दिनांक 29मई,2020

प्रतिलिपि हिंदी तथा अंग्रेजी, अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे इसे दिनांक 29-05-2020 के असाधारण गजट के भाग-4 के खंड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की सौ प्रतियाँ स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें|

वीना कुमारी
प्रमुख सचिव|

संख्या-04/2020/442/94-स्टा0-नि0-2-2020-700(03)/2020,दिनांक 29मई,2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, लेखापरीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय), उत्तर प्रदेश इलाहाबाद|
2-मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन |
3-प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन |
4-प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन |
5-आयुक्त स्टाम्प/महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश |
6-प्रबंध निदेशक, यू0पी0एस0आई0डी0सी0, उत्तर प्रदेश, कानपुर |
7-समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश |
8-सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश सूचना निदेशालय, लखनऊ |
9-समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश |
10-समस्त उपायुक्त स्टाम्प/ उप महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश |
11-समस्त सहायक आयुक्त स्टाम्प/ सहायक महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश |
12-विधायी अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन |
13-भाषा अनुभाग-5, उत्तर प्रदेश शासन |
14-गार्ड फाइल |

आज्ञा से,

वीना कुमारी
प्रमुख सचिव|

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।